पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

अधिवक्ता न्यायपालिका के महत्वपूर्ण घटक हैं - राज्यपाल

लखनऊः 29 जनवरी, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक ने आज राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में अधिवक्ता कल्याण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विचार करते हुए कहा कि अधिवक्ता न्यायपालिका के महत्वपूर्ण घटक हैं। न्यायाधीश के सामने अधिवक्ता दोनों पक्षों का विषय कानून के अंदर रहते हुए रखते हैं। न्याय दिलाना एवं योग्य सलाह देना उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को न्यायालय के समय का कैसे उपयोग करें, विचार करना चाहिए।

श्री नाईक ने कहा कि अधिवक्ता अपनी शक्ति को समाज के लिये लगायें तथा जनतंत्र को मजबूत करने का दायित्व भी उन पर है। कम समय और खर्च में न्याय मिलना चाहिए। वादी को समय पर न्याय मिले। वकील एवं डाक्टर का व्यवसाय महत्व का है। जनता के हित में कैसे काम करें यह सोचने की बात है। अधिवक्ता अपनी मांगों के लिये जनमत तैयार करें। किसी भी तरह की हिंसा का असर समाज पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि समस्या चाहे जितनी गंभीर हो, संवाद एवं संवैधानिक तरीके से उसका समाधान निकाला जा सकता है।

सांसद, सुश्री अनुप्रिया पटेल ने अधिवक्ताओं की मांग पर गंभीरता से विचार एवं सहयोग करने का आश्वासन देते हुए कहा कि उन्होंने सांसद निधि से अपने संसदीय क्षेत्र में वकीलों की लाईब्रेरी तथा अन्य सुविधाओं के लिये बीस लाख रूपये दिये हैं।

श्रीमती कांति सिंह, सदस्य विधान परिषद, उत्तर प्रदेश व पूर्व जिला जज, श्री दिवाकर सिंह ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष, श्री ज्ञानेन्द्र कुमार वर्मा ने किया। समिति की ओर से राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया।

अधिवक्ता कल्याण समिति उ.प्र.
नववर्ष 2015 की हार्दिक शुभकामनाओं सहित अपने द्वितीय स्थापना दिवस पर आयोजित
"अधिवक्ता कल्याण शोध-संगोष्ठी" में
आप सभी आगन्तुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करती है
मुख्य अतिथि :- श्री राम नाईक मा० राज्यपाल उ. प्र.
विशिष्ट अतिथि :- श्रीमती अनुप्रिया पटेल मा. सांसद मिर्जापुर
विशेष आमंत्रित अतिथि :- श्रीमती कान्ती सिंह (एम. एल. सी.) श्री दिवाकर सिंह (पूर्व जिला जज)
ज्ञानेन्द्र कुमार एडवोकेट (ज्ञानू वर्मा)